संख्या-33/2021/954/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सी0बी0एस0ई0 पैटर्न के मानक के अनुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों हेतु मेज/कुर्सी तथा आवासीय व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री आदि क्रय किये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-573/ज.जा.वि./बजट/2020-21, दिनांक-25.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सी0बी0एस0ई पैटर्न के मानक के अनुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरा, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों हेतु मेज/कुर्सी तथा आवासीय व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री आदि क्रय किये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है:-

(धनराशि रूपये में)

कम सं0	सामग्री का नाम	विद्यालय की संख्या	क्रय मात्रा	कुल अनुमानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	सी0सी0टी0वी0 के सहवर्ती उपकरण	09	10 कैमरे प्रति विद्यालय	6,21,000/-	जेम पोर्टल से प्राप्त दरों के अनुसार
2	सहवर्ती उपकरण (डी0वी0आर0 मानीटर, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, बी0एन0सी0, केबल तथा इन्सटालेशन चार्ज)	09	आवश्यक्तानुसार	15,46,290/-	
3	बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स मशीन	09	02 बायोमैट्रिक अटेन्डेन्स मशीन प्रति विद्यालय	2,97,000/-	
4	गद्दा व कम्बल, छोटे बाक्स, आलमारी, बुक शेल्फ, फाइल रैक बडे बाक्स, बेड, लाइब्रेरी व कार्यालय आदि हेतु फर्नीचर तथा खेलकूद की सामग्री अन्य आवश्यक सामग्रियां	09	आवश्यक्तानुसार	1,30,94,310/-	जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध होगी वो जेम पोर्टल से क्रय की जायेगी अथवा जो सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध नही होगी उसे शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय किये जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जायेगी।

(रूपये एक करोड़ निन्यान्वे लाख पचास हजार मात्र)

2- इस सम्बन्ध में निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पंूजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीन और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयत्र मद के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये-199.50 लाख के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सी0बी0एस0ई पैटर्न के मानक के अनुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरा, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों हेतु मेज/कुर्सी तथा आवासीय व्यवस्था हेतु आवश्यक सामगी आदि क्रय किये जाने हेतु सम्पूर्ण धनराशि रूपये-199.50 लाख (रू0-एक करोड़ निन्यान्वे लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय निर्गत दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधांे तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूॅजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-06-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीन और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयत्र मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

पृ.संख्या-33/2021/954 /26-3-2021 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद द्वारा निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।